वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 20.05.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण कराया सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को अवैध निर्माण सील कराया गया। शिवपुर वार्ड के बड़ागांव में निवास सिंह की ओर से बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने नोटिस देते हुए भवन को सील किया। संबंधित थाने की अभिरक्षा में भवन को सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 20.05.2025

वीडीए ने ध्वस्त कराई 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को शिवपुर में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई। शिवपुर वार्ड के आयर बाजार में अज्ञात की ओर से बिना ले आउट स्वीकृत कराए 5 बीघे में अवैध प्लाटिंग कराई जा रही थी। पूर्व में वीडीए की ओर से नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की अगुवाई में प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 20.05.2025

वीडीए ने तोड़ी अवैध प्लाटिंग, निर्माण सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के आयर बाजार में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। बुलडोजर से अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। इसी वार्ड में हरहुआ के पास पिलर नंबर एक व दो के पास निवास सिंह बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कर रहे थे। उक्त भवन को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 20.05.2025

प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर वार्ड शिवपुर मौजा-औरा के पास कास्तकार बिना ले आऊट स्वीकृत कराये पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग करवा रहा था मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस के निगरानी में प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग पर हुये निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 20.05.2025

पांच बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-एक, वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। वार्ड-शिवपुर, मौजा-औरा, आयर बाजार के अंतर्गत अज्ञात की तरफ से बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग पांच बीघे में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे पूर्व में नोटिस दी गयी थी लेकिन प्लाटिंगकर्ता ने ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया जिस पर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 20.05.2025

शिवपुर के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–शिवपुर, मौजा–औरा , आयर बाजार के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 05 बीघे में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले–आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया । अत: आज दिनांक 19/05/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी । मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 20.05.2025

शिवपुर वार्ड में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई,वाविप्रा ने की सख्ती

वाराणसीः वाराणसी विकास प्राधिकरण (ईंं) ने उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर जोन-1 के शिवपुर वार्ड में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मौजा-औरा, आयर बाजार क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना लेआउट स्वीकृति के लगभग 05 बीघे भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया।जानकारी के अनुसार, उक्त अवैध प्लाटिंग के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत पहले नोटिस जारी की गई थी। हालांकि, प्लाटिंगकर्ता ने लेआउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया, जिसके चलते प्राधिकरण ने 19 मई 2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया।कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार,प्रवर्तन दल, समस्त सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहे।